बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संचिका सं0–17/ए 1–11/2019 ..../स्वा0/राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिशा–निर्देश के आलोक में उक्त महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों की मान्यता बहाल रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता मानदंड के अनुरूप संविदा के आधार पर सह–प्राध्यापक के रिक्त पदों पर कुल 03 चिकित्सक शिक्षकों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियत मानदेय पर निम्न प्रकार से नियोजित एवं पदस्थापित किया जाता है:–

क्र० सं0	चयनित अभ्यर्थी नाम	विभाग का नाम	श्रेणी	रोस्टर बिन्दु श्रेणी	नव पदस्थापन महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	डा० मनोज कुमार चौधरी	पी0एम0आर0	अनारक्षित	अनारक्षित	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
2	डा० अनिल कुमार	पी0एम0आर0	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।
3	डा० नरेन्द्र कुमार,	निश्चेतना	अनारक्षित	अनारक्षित	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।

2. संविदा पर नियोजित सभी चिकित्सक शिक्षकों को विभागीय आदेश संख्या–435(17) दिनांक–27.07.2017 में निहित प्रावधान एवं अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय कुल रूपये 86,500/–(छियासी हजार पाँच सौ)/प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

3. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं भत्ता संविदा अवधि में देय होगा। सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।

4. संविदा पर नियोजित चिकित्सक शिक्षकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन स्थान पर 07 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण कर सूचित करेंगे।

5. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य योगदान के समय एक हज़ार रूपये के नन ज्यूडिसियल/एधैसिव स्टाम्प पर संबंधित अभ्यर्थी से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे।

6. संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक शिक्षक भविष्य में उक्त नियुक्ति को आधार मानकर नियमित नियुक्ति संबंधी कोई भी दावा नहीं करेंगे।

7. समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जाएगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

8. आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार संशोधन कर लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

D/Mukesh Sir/Adhisuchna

ज्ञापांक :—17/ए 1—11/2019 — 567 (17) पटना, दिनांक :— 18/7/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया/अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अपर सचिव, (कौशल किशोर)/अवर सचिव, (प्रभारी प्रशाखा—17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—प्रशाखा 01,02,03,09,17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/07/19

सरकार के अवर सचिव।